न्यायालय राजस्व मंडल केंद्र ग्वालियर कैंप उज्जैन म.प्र.

क्र. /08 पुन.

R 177-I/08

सत्यनारायण पिता चंपालाल पोरवाल
नि– ग्राम अल्हैड तह. मनासा जिला
नीमच म.प्र..........................आवेदक

विरुद्ध

भोनीलाल पिता नंदाजी माली नि–
ग्राम अल्हैड तह. मनासा जिला नीमच
..................अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू.रा. सं.

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय के आदेश दिनांक 26/11/07 प्रकरण क 45अ/05'06 से असतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण याचिका अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि विद्धवान अधिनस्थ योग्य न्यायालय एस.डी.ओ. महोदय मनासा का आलोच्य आदेश विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि विधि के सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि स्वत्व का निराकरण करने का एकमेव अधिकार व्यवहार न्यायालय को है । स्वत्व का निराकरण राज्य न्यायालय नही कर सकता है । वादग्रस्त भूमि के स्वत्व का निराकरण माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से कर दिया गया है । व आवेदक को वादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया उसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय के स्वत्व निराकरण के आदेश के अनुसार नामांतरण का आदेश दिया और निरस्त करने में विद्धवान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने वैधानिक त्रुटी की है ।

3– यह कि धारा 111 भू.रा.सं. के अन्तर्गत स्वत्व का निराकरण करने का एकमेव अधिकार व्यवहार न्यायालय को दिया गया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 111 भू.रा.सं. के विरूद्व जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

4– यह कि वादग्रस्त भूमि के नामांतरण के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने प्रकरण क 16–अ/04–05 आदेश दिनांक 12/9/05 द्वारा प्रकरण को तहसील न्यायालय ने इस निर्देश के साथ रिमाड किया था कि व्यवहार न्यायाधीश महोदय के आदेश एवं जयपत्र तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय के आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो स्वत्व का निराकरण किया गया है । उस अनुसार तहसील न्यायालय नामातरण करे । तहसील न्यायालय ने दिनांक 21/8/06 को वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए व्यवहार न्यायाधीश महोदय , अतिरिक्त जिला जज महोदय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नामांतरण किया किन्तु उक्त आदेश को वापस लिये जाने के आदेश पारित करने में अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने त्रुटी की है । अनुविभागीय अधिकारी महोदय का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की सीमा तक पहुचता है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है ।

5– यह कि विधान के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही निरस्त कर सकता है । किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्व स्वत्व का निराकरण करने के लिये प्रकरण को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने वैधानिक त्रुटी की है ।

... को श्रवण करके अपने पक्ष समर्थन का पूर्ण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-177-एक/08 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	